...यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीखरजू:–10–10–19

...69/19

उनवानः– भरतलाल बनाम लालचन्द वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

	फर्द अहकाम	
10 / 9	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 07.11.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1853 रकवा 0.39 है0 ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे निर्माण नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.11.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	5004 10-10-19
10.19	प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली तलब कर खारिज कराने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी वकील ने कथन किया कि पक्षकारान के मध्य विवाद का निपटारा हो गया है मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी वकील ने प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not Press किया। अतः यह प्रार्थना पत्र Not Press मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	Not Press 23.10.019

Scanned by CamScanner